

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक-एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.स्कू.ऑनलाईन/2023-24/ई-08436/

दिनांक-

समस्त प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी,
राजकीय महाविद्यालय/वित्तपोषित विश्वविद्यालय,
वित्तपोषित महाविद्यालय/निजी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय,
रजिस्ट्रार, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा,
क्षेत्रीय निदेशक/क्षेत्रीय कार्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय
खुला विश्वविद्यालय, जयपुर एवं जोधपुर,
राजस्थान।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु छात्रवृत्ति/स्कूटी योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन
हेतु पोर्टल प्रारम्भ करने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निम्नलिखित योजनाओं हेतु
छात्र-छात्राओं के लिए ऑनलाईन आवेदन करने हेतु दिनांक-01.10.2026 से 30.11.2026 तक
छात्रवृत्ति पोर्टल खोला जाता है-

क्र.स.	छात्रवृत्ति/स्कूटी का नाम
1	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना
2	विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड) संबल योजना
3	देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना (प्रथम वर्ष) देवनारायण छात्रा प्रोत्साहन राशि योजना (स्नातक एवं स्नातकोत्तर)
4	कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना :- 1. सभी वर्ग की छात्राओं हेतु (उच्च शिक्षा विभाग) 12वीं उत्तीर्ण 2. अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) 3. सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (माध्यमिक शिक्षा विभाग) 4. अल्पसंख्यक वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (अल्पसंख्यक मामलात विभाग) 5. अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (उच्च शिक्षा विभाग) 6. अनुसूचित जनजाति (ST) की 10वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (उच्च शिक्षा विभाग) 7. विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)
5	बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना
6	बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण अनुसूचित जनजाति प्रतिभावान छात्रों को आर्थिक सहायता
7	जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता
8	सहरिया जनजाति छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा (कॉलेज शिक्षा) हेतु आर्थिक सहायता
9	सहरिया छात्र-छात्राओं को बी.एड. प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहायता



- पोर्टल प्रारम्भ की तिथि – 01.10.2026
- पोर्टल बंद करने की तिथि – 30.11.2026

योजना से संबंधित नियम, दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाइट <https://hte.rajasthan.gov.in/HTE/10524> के Home Page पर Online Scholarship पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र भरने से पूर्व संबंधित छात्र-छात्रा/अभिभावक योजनाओं से संबंधित दिशा-निर्देश, परिपत्र क्रमांक-955 दिनांक-30.12.2021, नियम एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की भली भाँति अध्ययन कर ही आवेदन करें। आवेदन करने हेतु विद्यार्थी के पास जन आधार कार्ड होना आवश्यक है एवं उसमें भरी हुई सूचनाएँ यथा जाति, मूल-निवास, बैंक डिटेल, मोबाइल नं. आदि अपडेट होनी चाहिए।

ऑनलाइन आवेदन विभाग की वेबसाइट <https://hte.rajasthan.gov.in/HTE/30992> द्वारा एसएसओ आईडी से login कर Citizen App-G2C के "Scholarship (CE)" Icon पर क्लिक कर किया जा सकता है।

जिन विद्यार्थियों को उनके विश्वविद्यालय/महाविद्यालय छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। वे अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के रजिस्ट्रार/प्राचार्य से सम्पर्क कर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन की कार्यवाही करावें। जिन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा अभी तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन नहीं किया है, वे शीघ्र उक्त कार्यवाही करें। इसके अभाव में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकेंगे। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की होगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(कैलाश चन्द्र यादव)
अतिरिक्त आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.स्कू.ऑनलाईन/2023-24/ई-08436/
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

दिनांक-

1. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर, राजस्थान।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान।
3. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर, राजस्थान।
4. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर, राजस्थान।
5. प्रभारी वेबसाइट, को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

अतिरिक्त आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

